रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06022024-251854
CG-DL-E-06022024-251854

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 92]	नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 5, 2024/माघ 16, 1945
No. 92]	NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 5, 2024/MAGHA 16, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2024

सा.का.नि. 101(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (भारी वाहन चालक) भर्ती नियम, 1989 और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (समूह 'ग') भर्ती नियम, 1989 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें उक्त नियमों के अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण में चालक सह मैकेनिक (साधारण श्रेणी, श्रेणी I और श्रेणी II) के पद पर भर्ती पद्धति का विनियमय करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, चालक सह मैकेनिक (साधारण श्रेणी, श्रेणी I और श्रेणी II) भर्ती नियम, 2023 है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि - भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता - वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. चालक सह मैकेनिक (श्रेणी I)	6*(2023) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर - 5 (29200-92300 रुपए)	अचयन

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।
(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा।	<u>प्रोन्नति :</u> वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 (25500-81100 रुपए)	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति	लागू नहीं होता

	में ऐसे चालक सह मैकेनिक (श्रेणी II) में से जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा या चालक सह मैकेनिक (श्रेणी II) और चालक सह मैकेनिक (साधारण श्रेणी) में तेरह वर्ष की सम्मिलित सेवा की है एवं सरकार द्वारा विहित ट्रेड टेस्ट में उत्तीर्ण किया है। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चत्तर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा कि अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. निदेशक, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण – अध्यक्ष; 2. कार्यालय प्रमुख, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, कोलकाता – सदस्य; 3. कार्यालय प्रमुख, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, कोलकाता – सदस्य।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. चालक सह मैकेनिक (श्रेणी II)	7*(2023) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर - 4 (25500-81100 रुपए)	अचयन

(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा।	प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 (19900-63200 रुपए) में ऐसे चालक सह मैकेनिक (साधारण श्रेणी) में से जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है एवं सरकार द्वारा विहित व्यवसाय परीक्षण में उत्तीर्ण किया है। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. निदेशक, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण – अध्यक्ष; 2. कार्यालय प्रमुख, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, कोलकाता – सदस्य; 3. कार्यालय प्रमुख, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, कोलकाता – सदस्य।	लागू नहीं होता

	कर ली है, अगली उच्चत्तर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा कि अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. चालक सह मैकेनिक (साधारण श्रेणी)	7*(2023) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर - 2 (19900-63200 रुपए)	लागू नहीं होता

(6)	(7)	(8)	(9)
18 से 25 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। **टिप्पण 1 :** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तिथि भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए विहित की गई अंतिम तिथि होगी (न कि वह अंतिम तिथि जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिला तथा चंबा जिले के पांगी उपमंडल एवं लद्दाख, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। **टिप्पण 2 :** यदि सीधी भर्ती खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से की जाएगी तो आयु सीमा 18 से 27 वर्ष होगी।	आवश्यक : (i) मोटर वाहन चलाने के लिए वैध चालक अनुज्ञप्ति; (ii) मोटर वाहन यांत्रिकी का ज्ञान (अभ्यर्थी के पास वाहन की छोटी-मोटी खराबियों को ठीक करने का कौशल हो); (iii) मोटर वाहन चलाने का कम-से-कम तीन वर्षों का अनुभव; और (iv) मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण। वांछनीय : होम गार्ड या सिविल वालंटियर के रूप में तीन वर्ष की सेवा। **टिप्पण 1 :** अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अर्हताओं में छूट दी जा सकती है। **टिप्पण 2 :** अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती से नियुक्त या पुनर्नियोजित व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधे भर्ती द्वारा।	<u>प्रतिनियुक्ति या आमेलन :</u> भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण में वेतन मैट्रिक्स (18000-56900 रुपए) में स्तर 1 में नियमित बहुकार्यन कर्मचारी (एमटीएस), समूह 'ग' में से जिनके पास मोटर वाहन चलाने की योग्यता की जांच हेतु चालक परीक्षण के आधार पर मोटर वाहन चलाने का वैध चालक अनुज्ञप्ति हो जिसके न हो सकने पर केंद्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों या विभागों के वेतन मैट्रिक्स (18000-56900 रुपए) में स्तर 1 वाले नियमित समूह 'ग' कर्मचारी जिनके पास स्तंभ (7) में विहित अपेक्षित अर्हताएं हो : सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/ पुनर्नियोजन : एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक अथवा जिन्हें रिजर्व में भेजा जाना है और जिनके पास आवश्यक अनुभव और योग्यताएं हैं पर भी विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति दी जाएगी जिस तारीख को उन्हें सशस्त्र बलों से रिलीज देय है; उसके बाद उन्हें पुनर्नियोजन आधार पर जारी रखा जा सकता हैं। **टिप्पण 1. -** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2. -** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्वय पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3. - प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	समूह 'ग' विभागीय निर्धारण समिति (निर्धारण के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. निदेशक, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण – अध्यक्ष; 2. कार्यालय प्रमुख, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, कोलकाता – सदस्य; 3. कार्यालय प्रमुख, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, कोलकाता – सदस्य।	लागू नहीं होता

[फा. सं. 01/14/2021-सीएसबी]

नमिता प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th February, 2024

G.S.R. 101(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Botanical Survey of India (Heavy Vehicle Driver) Recruitment Rules, 1989 and the Botanical

Survey of India (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1989, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Driver-cum-Mechanic (Ordinary grade, Grade I and Grade II) in the Botanical Survey of India under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, namely:-

1. Short title and commencement.– (1) These rules may be called the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Botanical Survey of India, Driver-cum-Mechanic (Ordinary grade, Grade I and Grade II) Recruitment Rules, 2023.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in pay matrix.– The number of said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc. – The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.– No person, –

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.– Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.– Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other Backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Driver-cum-Mechanic (Grade-I).	*6 (2023) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, Non – Ministerial.	Level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300/-).	Non-selection.

Age limit for Direct recruits.	Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion.	Promotion:	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for	Not applicable.

	Driver-cum-Mechanic (Grade-II) in pay level-4 (Rs. 25500-81100/-) with five years regular service in the grade or with a combined service of thirteen years in Driver-cum-Mechanic (Grade-II) and Driver-cum-Mechanic (Ordinary Grade) and have passed the trade test, specified by the Government. Note-Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	considering promotion) consisting of :- 1. Director, Botanical Survey of India - Chairman; 2.Head of Office, Botanical Survey of India - Member; 3.Head of Office, Zoological Survey of India - Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.Driver-cum-Mechanic (Grade-II)	*7 (2023) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, Non –Ministerial.	Level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100/-).	Non-selection.

(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion.	Promotion: Driver-cum-Mechanic (Ordinary Grade) in Level 2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) with eight years' regular service in the grade and have passed the trade test, specified by the Government. Note-Where juniors who have completed their qualifying or	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Director, Botanical Survey of India - Chairman; 2.Head of Office, Botanical Survey of India - Member; 3.Head of Office, Zoological Survey of India - Member.	Not applicable.

	eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Driver-cum-Mechanic (Ordinary Grade)	*7 (2023) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, Non –Ministerial.	Level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200/-).	Not applicable.

(6)	(7)	(8)	(9)
18 to 25 years (Relaxable for Government servant upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note 1.- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territory of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). Note 2.- If the direct recruitment is to be made by direct open competitive examination, the age limit would be 18 to 27 years.	Essential: (i) Possession of a valid driving license for motor cars; (ii) Knowledge of motor mechanism (The candidate should be able to remove minor-defects in vehicle); (iii) Experience of driving a motor car for at least three years; and (iv) Pass in 10th standard. Desirable: Three years service as Home Guard or Civil Volunteers. Note 1.- Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2.-: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience is not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not applicable.	Two years for direct recruits or re-employed.

(10)	(11)	(12)	(13)
By Deputation or Absorption failing which by direct recruitment.	Deputation or Absorption: From amongst the regular Multi-Tasking Staff Group 'C' or Group 'C' employees in the level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900/-) in Botanical Survey of India who possess valid Driving License for Motor Cars on the basis of a Driving Test to assess the competence to drive Motor Cars failing which from officials holding the post of Multi-Tasking Staff on regular basis or regular Group 'C' employees in level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900/-) in other Ministries or Departments of the Central Government who fulfil the necessary qualifications as mentioned in column (7). Deputation or re-employment for Armed Forces Personnel: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered, such persons would be give deputation terms upto the date on which they are due for release from Armed Forces, thereafter they may be continued on re-employment. Note 1.- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2.- The maximum age-limit for appointment by deputation or absorption shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Director, Botanical Survey of India- Chairman; 2.Head of Office, Botanical Survey of India – Member; 3.Head of Office, Zoological Survey of India -Member .	Not applicable.

[F. No. 01/14/2021-CSB]

NAMEETA PRASAD, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA